

# कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

(केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग)

## नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाह्य न्यायालय, पुवायां, शाहजहाँपुर की पुरानी बाउंड्रीबाल के मालवे की खुली सार्वजानिक नीलामी दिनांक- 29.05.2023 को वाह्य न्यायालय, पुवायां, शाहजहाँपुर के परिसर में नजारत अनुभाग के सामने सम्बंधित नीलामी समिति के समक्ष सायंकाल 04:00 बजे होना नियत हुआ है। अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्णय विभाग, शाहजहाँपुर द्वारा उक्त मलवे का मूल्यांकन किया गया है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक- 540/ इन्फ्रा.सेल, इलाहाबाद, दिनांकित- 15.06.2020 के निर्देशानुसार निर्धारित न्यूनतम अरक्षित बोली माना गया है-

272.70X2.10X0.23	= 131.71 Cum
131.71X75%	= 98.78 Cum
साबुत ईट	= 39 Cum
	= 19500 Nos @ 3975/1000 Nos.
रोड़ी	= 59.78 Cum @ 900
	कुल योग = ₹ 131314.50

उक्त खुली सार्वजानिक नीलामी जहाँ जैसा है के आधार पर संपन्न की जायेगी, इच्छुक बोलीदाता उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित हो कर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बोलीदाताओं की जमानत धनराशि मु. रु. 20,000/- मात्र, नीलामी की निर्धारित तिथि को ही समय 12:00 बजे पूर्वान्ह वाह्य न्यायालय, पुवायां के नजारत अनुभाग में जमा कर स्वीकृत की जायेगी। उक्त नीलामी प्रक्रिया की शर्तें व नियम माननीय उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेब साईट [www.allahabadhighcourt.in](http://www.allahabadhighcourt.in) एवं जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर की अधिकारिक वेब साईट <https://districts.ecourts.gov.in/shahjahanpur> पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उक्त शर्तें व नियम को जनपद न्यायालय (मुख्यालय) व वाह्य न्यायालय, पुवायां के सूचना पट्ट से अथवा नजारत अनुभाग, वाह्य न्यायालय पुवायां व केन्द्रीय नजारत अनुभाग, शाहजहाँपुर (मुख्यालय) से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही उक्त पुरानी बाउंड्रीबाल के मालवे को वाह्य न्यायालय, पुवायां के परिसर में जाकर देखा भी जा सकता है। दिनांक- 29.05.2023 को निर्धारित उक्त खुली सार्वजानिक नीलामी में अधिक से अधिक बोलीदाताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु नीलामी सूचना को जनपद मुख्यालय के विभिन्न सार्वजानिक स्थलों, कार्यालयों एवं प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाये।

दिनांक- 18.05.2023

(अधिकारी कुमार पाठक)

अध्यक्ष,  
नीलामी समिति

18.5.23

(वाह्य न्यायालय, पुवायां, शाहजहाँपुर की पुरानी बाउंड्रीबाल का मालवा)/

अध्यक्ष, अवस्थापना उप समिति/

विशेष न्यायाधीश (SC/ST, Pev.of Atroci Act),

जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सिविल जज (जू.डि.), वाह्य न्यायालय, पुवायां।
2. उप जिलाधिकारी, पुवायां तहसील, शाहजहाँपुर।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पुवायां।
4. उप नाजिर, वाह्य न्यायालय, पुवायां, शाहजहाँपुर।
5. सूचना पट्ट, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर पर चस्पा करने हेतु।
6. सूचना पट्ट, वाह्य न्यायालय, पुवायां, शाहजहाँपुर पर चस्पा करने हेतु।
7. रेलवे स्टेशन, शाहजहाँपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. बस स्टेशन, शाहजहाँपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. जिला सूचना अधिकारी, शाहजहाँपुर को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
10. अमीन, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर को उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि व स्थान पर उपस्थित होकर समिति के निर्देशन में नीलामी की प्रक्रिया सम्पादित करने हेतु।
11. सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर को माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर की अधिकारिक वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुरा

(केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग)

वाह्य न्यायालय, पुवायां, शाहजहाँपुर की पुरानी बाउंड्रीवाल के मालवे की  
खुली सार्वजानिक नीलामी हेतु निर्धारित नियम व शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाह्य न्यायालय, पुवायां, शाहजहाँपुर की पुरानी बाउंड्रीवाल के मालवे की खुली सार्वजानिक नीलामी निम्न शर्तों के आधार पर सम्पादित की जायेगी-

- उक्त खुली सार्वजानिक नीलामी दिनांक- 29.05.2023 को सायंकाल 04:00 बजे वाह्य न्यायालय, पुवायां, शाहजहाँपुर के परिसर में नज़ारत अनुभाग के कार्यालय के सामने सम्बंधित समिति के समक्ष सम्पादित की जायेगी।
- उक्त खुली सार्वजानिक नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को जमानत धनराशि मु. रु. 20,000/- जमा कराना अनिवार्य होगा। उक्त जमानत धनराशि को नीलामी हेतु निर्धारित तिथि पर पूर्वान्ह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक कार्यालय नज़ारत अनुभाग, वाह्य न्यायालय, पुवायां, शाहजहाँपुर में उपनाजिर के पास जमा कराना होगा। उक्त अवधि के बाद किसी भी बोलीदाता की जमानत धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी। नीलामी समाप्त होने के उपरांत प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्तर के बोलीदाताओं की जमानत धनराशि रोकते हुए शेष बोलीदाताओं को उनकी जमानत धनराशि तत्काल वापस कर दी जायेगी।
- उक्त खुली सार्वजानिक नीलामी में नीलामी समिति/ जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर को बिना कारण बताये किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। अंतिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त दी जायेगी।
- उक्त खुली सार्वजानिक नीलामी से सम्बंधित पुरानी बाउंड्रीवाल के मलवे को वाह्य न्यायालय, पुवायां, शाहजहाँपुर के परिसर में नीलामी से पूर्व देखा जा सकता है। यह बोलीदाता का स्वयं का दायित्व होगा की वह उक्त बाउंड्रीवाल के मलवे का निरीक्षण कर अपनी संतुष्टि कर ले।
- उक्त खुली सार्वजानिक नीलामी में जिस बोलीदाता की बोली अंतिम रूप से स्वीकार की जायेगी, उसको नीलामी हेतु निर्धारित सम्पूर्ण धनराशि तत्काल नगद रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि उक्त बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं करई जाती है तो उसकी बोली निरस्त मान ली जायेगी तथा उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि मु. रु. 20,000/- राजकीय कोष में जब्त कर ली जायेगी।
- उक्त खुली सार्वजानिक नीलामी से सम्बंधित अंतिम बोली को सक्षम अधिकारी/ जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर द्वारा स्वीकृत किये जाने के उपरांत ही उक्त पुरानी बाउंड्रीवाल के मालवे को वाह्य न्यायालय, पुवायां, शाहजहाँपुर के परिसर से क्रेता ले जाया जा सकेगा। तब तक क्रेता अपने संतोष के लिये मलवे की देखरेख कर सकता है, बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- उक्त खुली सार्वजानिक नीलामी से सम्बंधित निर्धारित सम्पूर्ण धनराशि जमा करने व नीलामी अनुमोदन के उपरांत तीन दिनों के अन्दर उक्त अंतिम बोली पुरानी बाउंड्रीवाल के मालवे को हटा लिया जाना अनिवार्य होगा।
- उक्त खुली सार्वजानिक नीलामी से सम्बंधित नियम व शर्तों के विषय पर यदि कोई विवाद होता है तो जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
- उक्त खुली सार्वजानिक नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर में स्थित सक्षम न्यायालय में की जायेगी।

5.1 Jaswarp

(मुद्रित कुमार जायसवाल)

सदस्य

(अम्बेश कुमार पाण्डेय)

सदस्य

(वाह्य न्यायालय, पुवायां,  
शाहजहाँपुर की पुरानी  
बाउंड्रीवाल का मालवा)/  
सिविल जज (जू. डि.),  
वाह्य न्यायालय, पुवायां,  
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

नीलामी समिति

(वाह्य न्यायालय, पुवायां,  
शाहजहाँपुर की पुरानी  
बाउंड्रीवाल का मालवा)/  
प्रभारी अधिकारी  
(भवन तथा परिसर)/  
विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट),  
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(आलोक कुमार शुक्ला)

सदस्य

नीलामी समिति  
(वाह्य न्यायालय, पुवायां,  
शाहजहाँपुर की पुरानी  
बाउंड्रीवाल का मालवा)/  
प्रभारी अधिकारी (नज़ारत)/  
विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट),  
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(अखिलेश कुमार पाठक)

अध्यक्ष

नीलामी समिति  
(वाह्य न्यायालय, पुवायां,  
शाहजहाँपुर की पुरानी  
बाउंड्रीवाल का मालवा)/  
अध्यक्ष,  
अवस्थापना उप समिति/  
विशेष न्यायाधीश (SC/ST,  
Pev.of Atrocies Act),  
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

9  
18.5.23

18.5.23